

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

दारु कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

—: अधिसूचना :-

रायपुर, दिनांक: 8 / 12 / 2010
क्रमांक एफ 10-36 / 2010 / 16: संविदा श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 की धारा 35 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 12 (2) सहपठित छत्तीसगढ़ नियम, 1973 के नियम 24 (1) में निम्नानुसार संशोधन एतद् द्वारा किया जाता है:-

“ अनुज्ञप्ति प्राप्त करते समय प्रति श्रमिक प्रतिभूति की राशि रूपये 200/- के स्थान पर रूपये 1000/- ठेकेदार से अनुज्ञप्ति अधिकारी जमा करायेगा।”

उपरोक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Fahri
(के०डी० कुंजाम)
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
8/12/10

रायपुर, दिनांक: 8 / 12 / 2010.

पु. क्रमांक एफ 10-36 / 2010 / 16,
प्रतिलिपि:-

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
- 2 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
- 3 निज सहायक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
- 4 समस्त संभागायुक्त,
- 5 श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
- 6 समस्त कलेक्टर,
- 7 समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी
- 8 उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनादगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त इसकी 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Fahri
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
8/12/10

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्वारा श्री के. के. खरहे, कार्य पर्यवेक्षक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त उप श्रम निरीक्षक, रायगढ़ के पद पर, श्रम निरीक्षक कार्यालय, रायगढ़ में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है।

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्वारा श्री रामजी मिश्रा, कैशियर द्वितीय, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त उप श्रम निरीक्षक, कोरिया के पद पर, श्रम निरीक्षक कार्यालय, कोरिया-में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है।

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्वारा श्री किशोर कुमार चौरे, परिचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त सहायक ग्रेड-3, के पद पर, सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है।

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्वारा श्री आर. के. कनौजिया, टी. सी. टी., छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त उप श्रम निरीक्षक, अंबिकापुर के पद पर, श्रम निरीक्षक कार्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है।

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्वारा श्री हरीश चन्द्र मिश्रा, टिकट परीक्षक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त उप श्रम निरीक्षक, जगदलपुर के पद पर, श्रम निरीक्षक कार्यालय, जगदलपुर में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है।

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्वारा श्री ईश्वर चन्द्र पाटले, यातायात पर्य. द्वितीय, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त उप श्रम निरीक्षक, रायपुर के पद पर, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है।

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्वारा श्री योगेन्द्र साहू, परिचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त सहायक ग्रेड-3, के पद पर, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है।

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-8/2010/16.—राज्य शासन एतद्वारा श्री विजय शर्मा, टिकट परीक्षक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त उप श्रम निरीक्षक, महासमुंद के पद पर श्रम निरीक्षक कार्यालय, महासमुंद में अस्थाई रूप से पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2010

क्रमांक एफ 21-03/10/नौ/55.—फार्मैसी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) की धारा 19 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ फार्मैसी कौंसिल में निम्नानुसार पांच सदस्यों को नामनिर्देशित करता है :-

- | | | |
|-----|---|-------|
| (1) | श्री केशव दुबे
पंजीयन क्र. 3744
महावीर मेडिकल एजेंसी,
मेडिकल काम्प्लेक्स, बिलासपुर जिला बिलासपुर | सदस्य |
| (2) | श्री जगदीश पटेल
पंजीयन क्र. 7435
आदर्श मेडीसेल्स 16 न्यू मेडिकल काम्प्लेक्स,
रायपुर जिला रायपुर | सदस्य |
| (3) | श्री रणजीत सिंह सलूजा
पंजीयन क्र. 3494
सलूजा मेडिकल स्टोर
मेन रोड, कवर्धा जिला कबीरधाम | सदस्य |
| (4) | श्री भरतकुमार अजवानी
पंजीयन क्र. 4755
29/498-आजनेय टी.वी. टावर रोड,
शंकर नगर, रायपुर जिला रायपुर | सदस्य |
| (5) | श्री राजकुमार अग्रवाल
पंजीयन क्र. 5838,
रजत एजेन्सीज, ट्रांसपोर्ट नगर,
रायगढ़ जिला रायगढ़. | सदस्य |

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 1-2/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 के परंतुक के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, उपाध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर नियुक्त करता है।

2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अंतर्गत श्री विश्वकर्मा की पदावधि चार वर्षों की होगी। परंतु पदावधि पूर्ण होने के पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा पद से, उसके लिये कोई कारण दिये बिना हटाया जा सकेगा।

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 1-2/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 के परंतुक के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा श्री रतन लाल डागा, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, उपाध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर नियुक्त करता है।

2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अंतर्गत श्री डागा की पदावधि चार वर्षों की होगी। परंतु पदावधि पूर्ण होने के पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा पद से, उसके लिये कोई कारण दिये बिना हटाया जा सकेगा।

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 1-2/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 के खण्ड (क) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा श्री सुनील सोनी, रायपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर नियुक्त करता है।

2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अंतर्गत श्री सोनी की पदावधि चार वर्षों की होगी। परंतु पदावधि पूर्ण होने के पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा पद से, उसके लिये कोई कारण दिये बिना हटाया जा सकेगा।

3. उपर्युक्तानुसार श्री सुनील सोनी द्वारा अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. एस. बजाज, (भा.व.से.) अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के कार्यभार से मुक्त होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव।

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-36/2010/16.—संवित्त श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 की धारा 35 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 12 (2) सहपठित छत्तीसगढ़ नियम, 1973 के नियम 24 (1) में निम्नानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है :—

“अनुज्ञापित प्राप्त करते समय प्रति श्रमिक प्रतिभूति की राशि रुपये 200/- के स्थान पर रुपये 1000/- ठेकेदार से अनुज्ञापित अधिकारी जमा करायेगा।”

उपर्युक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।